12-11-16

प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत में इस खण्डपीठ के समक्ष पेश।

> राज्य द्वारा एडीपीओउप० आरोपीसहित अधिवक्ता श्री जी०एस०निगम उप०। प्रकरण अमियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।

इसी प्रक्रम पर उभयपक्षों द्वारा डॉकेट राजीनामा आवेदन मय राजीनामा प्रस्तुत किया गया जिसे अधिलेख पर लिया गया। फरियादी बालकिशन की पहचान अधि०श्री बी०एस०यादव द्वारा की गईहै।

राजीनामा आवेदन पर विचार किया गया प्रकरण का अवलोकन किया गया प्रकरण के अवलोकन से दर्शित हैिक आरोपी के विरुद्धभादस की धारा 379 के अंतर्गत आरोप विरचित किये गये है। उक्त अपराध न्यायालय की अनुमित से राजीनामा योग्य है फरियादी ने आरोपी से स्वेचछयापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेना व्यक्त किया है। राजीनामा पक्षकारों के हित में एवं लोकनीति के अनुरूप है । अतःवाद विचार राजीनामा आवेदन स्वीकार किया गया एवं उभयपक्षों को राजीनामा करने की अनुमित प्रदान की गई । राजीनामा के आधार पर आरोपी को भादस की धारा 379 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

GRPG-121-FSGwl.-5-6-13-1,00,000 Forms.

Description Sheet No.

आरोपी पूर्व से जमानत पर है उसके जमानत मुचलके भारहीन किये गये।

प्रकरण में जप्तशुदा भैस थाने द्वारा सुर्पुदगी दी गई है। प्रकरण में निराकरण योग्य कोई सम्पत्ति नहीं है।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण

अभिलेखागार भेजा जावे। खण्डपीठ सदस्य. क.1 भुक्ति

\$2-

(प्रतिष्ठा अवस्थी) पीठासीन अधिकारी खण्डपीठ क024 गोहद जिला भिण्ड म0प्र0